भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2000

दिनांक 11.05.2016/21 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

व्यापक हिंसा तथा जान-माल की तबाही को रोकने के लिए उठाए गए कदम

2000. श्री के.टी.एस. तुलसी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) व्यापक हिंसा तथा जान-माल की तबाही जैसाकि हाल ही में हरियाणा में घटित हुआ, जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कार्य-योजना बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क) और (ख): माननीय उच्चतम न्यायालय ने सरकारी एवं निजी संपत्तियों का नुकसान बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य के मामले में रिट याचिका (दाण्डिक) संख्या 77/2007 पर दिए गए दिनांक 16 अप्रैल, 2009 के अपने निर्णय में संबंधित प्राधिकारियों को उनके द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयन हेतु प्रभावी कदम उठाने का सुझाव दिया था। तदनुसार, विद्रोह, बंद, हड़ताल आदि के नाम पर सरकारी संपत्तियों का विनाश करने एवं क्षति पहुंचाने तथा ऐसी विनाशकारी गतिविधियों को रोकने संबंधी दिशा-निर्देशों के बारे में गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 6 मई, 2013 को एक परामर्शी-पत्र जारी किया गया था।

इसके अतिरिक्त, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य का विषय होने के कारण, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में कार्रवाई मुख्य रूप से राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है। तथापि, केंद्र सरकार कानून एवं व्यवस्था के गंभीर मामलों पर राज्य सरकारों के साथ आसूचना साझा करती है और राज्य सरकारों द्वारा जब कभी भी अनुरोध किया जाता है तो राज्य प्राधिकरणों की सहायता के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) भी मुहैया कराती है।